

(10)

तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी

भागीरथराम (आरटीएस)

दिनांक 23.11.17

नि.न.172/17

सरकार बनाम शीशराम

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का मलपुरा ने एक रिपोर्ट इस आशय कि पेश कि है कि सम्वत 2074 में वाके ग्राम मोरधा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 673/0.02है0मेंसे 0.02है0 किस्म जमीन बाराणी पर शीशराम पुत्र देवकरण जाति गुजर निवासी मोरधा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने जोत कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिपोर्ट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर । गैर सायल को विधिवत LR\ACT 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गये । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायल उपस्थित आये तथा तथा जबाब पेश नहीं किया गया । अतः प्रत्रावली में संलग्न दस्तावेज तथा पटवारी हल्का रिपोर्ट का अवलोकन करने पर गैर सायल का उक्त खसरा नंबर पर अतिक्रमण सिद्ध होता है । इस लिये गैर सायल के विरुद्ध नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है ।

अतः गैर सायल शीशराम पुत्र देवकरण जाति गुजर निवासी मोरधा को वाके ग्राम मोरधा के आ0ख0न0673/0.02है0पर अतिक्रमि घोषित करते हुए उक्त आराजियात पर की गई जोत को हटाया जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं । तथा नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी .25रू का पचास गुणा 13रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है ।

निर्णयानुसार बेदखली,पैनल्टी वसुली हेतु भू0 अ0 नि0 व पटवारी हल्का को तहरीर जारी हो व माग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखा कार को लिखा जावे । निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दखील दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया ।

23.11.17

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

10/17/17 के रा. न. 4
दण्ड राकम 76 पर 13 रु.
को अतिक्रमण किये गये ।

राजस्व लेखाकार
कोटपूतली